प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैरइरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा

दिनांक: 31.08.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 31.08.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 10 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना रामपुरकला से सम्बन्धित मु0अ0सं0 44/16 धारा 304 भादवि बनाम मुकेश भार्गव पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम मंझिया थाना रामपुरकला जनपद सीतापुर में रामपुरकला पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 31.08.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....